श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक-24.06.2024 (सोमवार) को समिति कार्यालय रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 67वीं बैठक की कार्यवाही :-

1. **उपस्थिति** :- बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :-

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	उपस्थित
2.	श्री उपेन्द्र नारायण, उप-निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री कपिलदेव पंडित, अवर सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), रांची।	सदस्य	अनुपस्थित
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सेवा-निवृत्त, सह-शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
6.	श्री संतोष कुमार, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य-सचिव	उपस्थित
7.	डॉ. गिरिन्द्र प्रसाद, सह-शिक्षक, सेवा-निवृत्त एवं सदस्य, सामान्य निकाय समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित
8.	डॉ. आशीष आलोक, सदस्य, सामान्य निकाय समिति एवं पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित
9.	श्री प्रयाग दुबे, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित

02. कार्यसूची की मद संख्या-01 : सर्वप्रथम बैठक में प्राचार्य चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में नव-नियुक्त प्राचार्य के विषयार्थ परिचर्चा की गई। इस क्रम में नव-नियुक्त प्राचार्य को बैठक से अनुपस्थित रखा गया। विचार-विमर्श के क्रम में सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि समिति की नियुक्ति, सेवाशर्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 में प्राचार्य

Santosh

पद पर नियुक्ति हेतु प्रावधान सन्निहित है। वर्णित प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रक्रिया हेतु दिनांक-03.11.2023 को संपन्न हुई 64वीं बैठक में सर्वसम्मति से सभापति को प्राधिकृत किया गया था। तद्नुसार सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2023 इसी अनुक्रम में विज्ञापन संख्या-01/2024 के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों के स्क्रीनिंग समिति द्वारा विधिवत स्क्रीनिंग के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एवं अंतर्वीक्षा दिनांक-23.03.2024 को चयन समिति के निर्देशन में लिया गया। तत्पश्चात् चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल सूची के मेधाक्रम 01 के अभ्यर्थी श्री संतोष कुमार, पिता-श्री सुरेन्द्र पाठक को समिति के नियमावली के नियम-08 के तहत सभापति द्वारा नियुक्ति पत्र संप्रेषित किया गया, जिसके आलोक में श्री संतोष कुमार ने दिनांक-18.06.2024 को प्राचार्य पद पर अपना योगदान दिया। सम्यक् विचारोपरांत चयन समिति द्वारा अनुशंसित पैनल सूची एवं श्री संतोष कुमार के प्राचार्य पद पर योगदान की संपुष्टि सर्वसम्मति से प्रदान की गई। संपुष्टि के उपरांत नव-नियुक्त प्राचार्य को बैठक कक्ष में बुलाकर उन्हें शुभकामनाएँ दी गई; तदोपरांत बैठक की आगे की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

03. **कार्यसूची की मद संख्या-02 :** सभापति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य, डॉ. प्रसाद पासवान की सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्ति तिथि 31.03.2024 को निर्धारित थी। इसी बीच आम लोकसभा चुनाव, 2024 के तहत आचार संहिता प्रभावी होने के कारण प्राचार्य पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो सकी। सेवा-निवृत्ति के पूर्व प्रभारी प्राचार्य के द्वारा संचिका में समर्पित प्रस्ताव के विचारोपरांत अल्पकालिक व्यवस्था के अंतर्गत डॉ. अभिषेक मिश्र, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय को अपने ही वेतनमान में प्रभारी प्राचार्य का प्रभार सुपूर्द किया गया था। सम्यक् विचारोपरांत डॉ0 अभिषेक मिश्र के प्रभारी प्राचार्य (दिनांक-01. 04.2024 से 18.06.204 के पूर्वा. तक) के रूप में पदग्रहण की घटनोत्तर संपुष्टि प्रदान की गई।

04. **कार्यसूची की मद संख्या-03** : दिनांक-28.02.2024 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 66वीं बैठक की कार्यवाही की सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

05. **कार्यसूची की मद संख्या-04** : दिनांक-28.02.2024 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 66वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के कृत अनुपालन प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया गया; विमर्शोपरांत अनुपालन प्रतिवेदन सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

Santosh

06. <u>कार्यसूची की मद संख्या-05</u> : समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों जिनकी 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण हो चुकी है, को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-2891/वि., दिनांक-01.09.2009 के आलोक में संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का अनुलाभ दिए जाने का प्रावधान निहित है। वर्तमान में वर्ष, 2013 समिति स्तर से नियुक्त शिक्षकों को संबंधित योजना का अनुलाभ दिया जाना है। विचार-विमर्श के क्रम में बैठक में उपस्थित वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि MACP योजना के तहत लाभ दिए जाने के पूर्व एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। स्क्रीनिंग समिति उन सभी शिक्षकों जिन्हें MACP का लाभ दिया जाना है, कि मूलभूत सभी तथ्यों यथा- उनका ACR, संपत्ति का ब्यौरा, विभागीय सतर्कता रिपोर्ट, संबंधित विषय में छात्रों का प्रदर्शन, पठन-पाठन एवं अन्य क्रयाकलापों में शिक्षक की अभिरूची का स्तर इत्यादि का अध्ययन करते हुए अपने अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन समीक्षी पदाधिकारी अर्थात सभापति, कार्यकारिणी समिति को समर्पित करेगी। सभापति के अवलोकन एवं समीक्षा के पश्चात संबंधित प्रतिवेदन को पुनः कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जायेगी, तत्पश्चात ही एतदविषयक अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सम्यक् विचारोपरांत निम्नानुसार स्क्रीनिंग समिति के गठन किए जाने का निर्णय लिया गया -

क)	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद सदस्य, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स.	–	अध्यक्ष
ख)	डॉ. गिरीन्द्र प्रसाद सदस्य, सामान्य निकाय, ने.वि.स.	–	सदस्य
ग)	श्री मुरलीधर कोटवार सदस्य, सामान्य निकाय, ने.वि.स.	–	सदस्य

प्राचार्य को निर्देश हुआ स्क्रीनिंग समिति से विमर्श कर संबंधित शिक्षकों के मूलभूत दस्तावेज यथा-मूल संचिका, सेवा पुस्तिका इत्यादि समिति कार्यालय में उपलब्ध करा देंगे, ताकि गठित समिति द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ की जा सके।

07. <u>कार्यसूची की मद संख्या-06</u> : शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-02/2024 के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों के विधिवत स्क्रूटनी हेतु तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा संचिका के माध्यम से समर्पित प्रस्ताव के आलोक में स्क्रीनिंग समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई थी; तदोपरांत प्राचार्य द्वारा कार्यालय आदेशांक-1539, दिनांक-18.06. 2024 के माध्यम से स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया। एतदर्थ की घटनोत्तर संपुष्टि प्रदान की गई एवं प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि प्राप्त आवेदनों का मिलान कर

Santosh

स्क्रीनिंग समिति को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें एवं स्क्रीनिंग समिति को निर्देश दिया जाए कि एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन प्राचार्य कार्यालय को समर्पित करेगें।

08. **कार्यसूची की मद संख्या–07 :** तृतीय वर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों के विचार-विमर्श के क्रम में पाया गया कि जनवरी–2021 में विभागीय स्तर से सत्यापित रोस्टर पंजी के आलोक में विद्यालय स्तर से विज्ञापन संख्या–01/2023 का प्रकाशन किया गया था। विज्ञापन प्रकाशन के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा WP(S) 3894/2021 (रमेश हंसदा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य) के न्यायादेश के आलोक में विज्ञापन रद्द किया गया। इसी बीच कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 63वीं बैठक दिनांक–10.08.2023 की **कार्यसूची की मद संख्या–21** में निर्णय हुआ था कि पूर्व में तैयार एवं सत्यापित रोस्टर पंजी तथा एक संवर्गीय पदों को एकीकृत करते हुए पुनः रोस्टर पंजी विभागीय स्तर से सत्यापित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निर्णय के आलोक में तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के द्वारा पूर्व की मूल संचिका से हटकर नई संचिका पर पुनः नये स्तर से रोस्टर क्लीयरेंश का प्रस्ताव भेजा गया। सभी वर्णित तथ्यों पर गहन विशलेषण के उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित विषय पर विस्तृत समीक्षा हेतु प्राचार्य एक आंतरिक स्तर से समिति का गठन कर तथा रोस्टर पंजी पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु विभागीय स्तर से परामर्श प्राप्त करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। इस बीच कार्यालय में रिक्त पदों के कारण कार्य संचालन में उत्पन्न व्याप्त गतिरोध के निराकरण हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तत्काल संविदा के आधार पर 01 लेखा लिपिक, 01 लिपिक एवं 01 भंडारी के पद पर प्राचार्य विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

09. **कार्यसूची की मद संख्या–08 :** समिति नियमावली–323, दिनांक–23.10.2009 के नियम–38 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 के वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकेक्षक द्वारा कुछेक Observation यथा–क्रम संख्या–07 (g) एवं (h) तथा क्रम संख्या–08 को गंभीरता से लिया गया। इस बात पर भी विस्तृत परिचर्चा की गई कि कर्मियों के कार्य-दायित्वों का स्पष्ट निरूपण एवं निर्धारण आवश्यक है, ताकि संबंधित प्रभाग/अनुभाग के कार्य विचलन की स्थिति में जिम्मेवार कर्मचारियों से कारण पृच्छा करते हुए यथोचित कार्रवाई की जा सके। विचार-विमर्श के फलस्वरूप अंकेक्षण प्रतिवेदन में दी गई आपत्तियों के संदर्भ में इसके सुधारात्मक पहल/कार्रवाई हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

Santosh

10. **कार्यसूची की मद संख्या-09** : बैठक में इस बात पर परिचर्चा की गई कि दिनांक-27.12.2023 को संपन्न हुई कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की 65वीं बैठक में नेतरहाट प्रवेश परीक्षा की प्रक्रियाओं में आवश्यक बिन्दुओं पर उचित बदलाव एवं संशोधन का प्रस्ताव सामान्य निकाय की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, चूँकि इस बीच सामान्य निकाय की बैठक संपन्न नहीं हो सकी है; अतएव, सत्र के नियमितीकरण को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गत वर्ष के परीक्षा पैटर्न के आधार पर वर्तमान सत्र, 2024-25 की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की जाय। प्राचार्य सह सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि इस निमित्त बाह्य परीक्षा विभाग को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश परीक्षा में अधिक से अधिक छात्र सम्मिलित हो सके उसके लिए प्राचार्य विभागीय पदाधिकारियों का सहयोग लेते हुए अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

11. **कार्यसूची की मद संख्या-10** : विद्यालय के सभी संचालित आश्रमों के रंग-रोगन तथा लाइटिंग इत्यादि आवश्यक कार्यो के कार्यान्वयन हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि इस संदर्भ में एक विस्तृत प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि ससमय आवश्यक कार्यो का प्राक्कलन बनवाकर तत्संबंधी विषय पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इस बात को इंगित किया गया कि तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा विद्यालय कार्यालय पत्रांक-1806, दिनांक-17.10.2023 के माध्यम से पूर्व योजनाओं के दायित्व राशि एवं कुछेक नए कार्यो के कार्यान्वयन हेतु बजटीय उपबंध की मांग की गई थी, जिसके आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-12/यो.1-06/2023/105, दिनांक-27.02.2024 के आलोक में संबंधित मद में राशि प्राप्त है। प्राप्त राशि को संबंधित मद में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

12. **कार्यसूची की मद संख्या-11** : विद्यालय प्रेक्षागृह में कुछेक आवश्यक कार्यो यथा-एसी मरम्मति, लाइटिंग एवं साउण्ड सिस्टम मरम्मति का कार्य विद्यालय स्तर से करवाये जाने हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया। प्राचार्य को निर्देश हुआ कि आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही फॉल्स सीलिंग एवं रंग-रोगन हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, लातेहार को प्राक्कलन तैयार करने हेतु पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

Santosh

13. अन्यान्य -

01) बैठक में उपस्थित सभापति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यालय परिसर में खेल संकुल के निर्माण हेतु तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉ. अभिषेक मिश्र के द्वारा विद्यालय पत्रांक-1525, दिनांक-15.06.2024 के माध्यम से खेल निदेशक, झारखण्ड को आर.एस. सर्वे के अनुसार भूमि रेखांकित कर तत्संबंधी प्रस्ताव पत्र भेजा गया। सभापति द्वारा सदस्यों को बताया गया कि प्रभारी प्राचार्य अपने पत्र में वर्णित भूमि सी.एस. सर्वे के अनुसार होने का उल्लेख किया है जबकि संबंधित भूमि का उल्लेख आर. एस सर्वे में है। साथ ही प्रभारी प्राचार्य द्वारा अपने पत्र मे यह उल्लेख किया गया कि संबंधित प्रस्ताव पर माननीय सभापति की मौखिक सहमति प्राप्त है, जबकि सभापति द्वारा बताया गया था कि संबंधित विषय पर कभी भी प्रभारी प्राचार्य द्वारा उनसे विमर्श नहीं किया गया। सभापति द्वारा बताया गया कि पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त होते ही संपूर्ण यथास्थिति से संबंधित विभाग को अवगत कराया गया साथ ही प्रभारी प्राचार्य द्वारा किये गए पत्राचार के विरूद्ध उनसे कारण पृच्छा की गई है। प्रेषित पत्र के आलोक में डॉ. अभिषेक मिश्र का प्रतिउत्तर असंतोषप्रद पाया गया। प्रभारी प्राचार्य के रूप में बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए त्रुटियुक्त पत्राचार जहाँ आर.एस. सर्वे को सी.एस. सर्वे बताया गया से प्रथम दृष्टिया प्रतीत होता है कि डॉ. मिश्र द्वारा किया गया पत्रचार उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने वाला है। बैठक में यह निर्णय हुआ कि संबंधित प्रस्ताव (खेल संकुल) को सामान्य निकाय की बैठक में प्रस्तुत कर प्राप्त निर्देश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

02) प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि विद्यालय चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के आवासों की यथास्थिति के निर्माण हेतु आवकलन कराते हुए आवश्यकतानुरूप आवासों के निर्माण हेतु भवन प्रमंडल, लातेहार को डी.पी.आर बनाने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे।

03) षष्ट एवं सप्तम आश्रम वर्ग में सोलर लाईट की व्यवस्था हेतु अष्टम आश्रम वर्ग से कनेक्शन अथवा उचित प्रक्रियाओं के अनुपालन हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

04) विद्यालय कर्मियों को सुलभ जल व्यवस्था के तहत जलापूर्ति हो सके इसके लिए उचित आक्कलन कर आवश्यकतानुसार जलमीनार के माध्यम से जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

Santosh

05) छात्रों के शुल्क संरचना/व्यवस्था को डिजिटल मोड पर कराये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आवश्यक प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया।

06) विद्यालय के भवनों एवं आवासीय परिसरों के टूट-फूट, रंग-रोगन एवं छोटे-छोटे कार्यों के कार्यान्वयन हेतु भवन प्रमंडल, लातेहार से कार्यों का स्थल निरीक्षण, सर्वेक्षण/पर्यवेक्षण एवं प्राक्कलन तैयार कराने की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि कार्यपालक अभियंता/कनीय अभियंता को जिला के समस्त कार्यों को देखना पड़ता है, इस संदर्भ में प्रायः यह देखने को मिलता है कि उनके स्तर से विद्यालय के कार्यों को ससमय पूरा नहीं किया जाता है। छोटे-छोटे कार्यों के प्रति इस प्रकार की निर्भरता न केवल विद्यालय स्वायत्तता के प्रतिकूल है बल्कि इससे कार्यों में अनावश्यक विलंब देखने को मिलता है। तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य द्वारा कई कार्यों के संदर्भ में उनसे किए गए अनुरोध पर अबतक कार्यवाही न किया जाना दुर्भाग्य का विषय है। इन्हीं विषय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए कार्यकारिणी समिति की 65वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि विद्यालय स्तर से किसी पंजीकृत वास्तुकार (झारखण्ड सरकार द्वारा) की सेवा प्राक्कलन इत्यादि के लिए लिये जायें। संपूर्ण बिंदुओं को दृष्टिपथ रखते हुए विद्यालय के कुशल एवं ससमय संचालन हेतु निर्णय लिया गया कि एक अंतिम अनुरोध पत्र प्राचार्य पुनः कार्यपालक अभियंता को प्रेषित करेंगे; अगर प्रेषित पत्र के एक सप्ताह के अंदर कोई सकारात्मक पहल नहीं किये जाते हैं, तो प्राचार्य विद्यालय हित में वित्त विभाग के सुसंगत प्रावधानानुसार एक सेवानिवृत्त अभियंता को अस्थायी रूप सेवा में रखने की कार्रवाई करेंगे, साथ ही पंजीकृत वास्तुकार की भी सेवा लेना सुनिश्चित करेंगे, ताकि विद्यालय कार्यों में अनावश्यक गतिरोध/विलंब उत्पन्न न हो।

07) विद्यालय में अन्य विभागों की भाँति खेल विभाग भी स्थापित हो सके एवं छात्रों में खेल कौशल का विकास हो इसके लिए प्राचार्य का सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि एक खेल शिक्षक की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव पत्र प्रशासी विभाग एवं खेल विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विद्यालय के खेल मैदानों को मूल स्वरूप में यथावत रखते हुए उनका जीर्णोद्धार हो सके इसके लिए प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को निर्देश हुआ कि एक प्रस्ताव पत्र खेल निदेशक से मिलकर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 26-6-2024

(संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति

ज्ञापांक– 77/ने.वि.स./2024 रांची, दिनांक–26.06.2024

प्रतिलिपि– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ प्रो.(डॉ.)कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति,52,सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची/ डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, (सेवा–निवृत्त), नेतरहाट विद्यालय, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति/ डॉ. गिरिन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक (सेवा–निवृत्त), सदस्य, सामान्य निकाय समिति/ डॉ. आशीष आलोक, सदस्य, सामान्य निकाय समिति एवं पूर्ववर्त्ती छात्र/ श्री प्रयाग दुबे, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय/ प्राचार्य–सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 26-6-2024

सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

नेतरहाट विद्यालय समिति

(एम.डी.आई.भवन परिसर,एच.ई.सी.,धुर्वा,रांची–834004)
(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक–24.06.2024 (सोमवार) को आहूत 67वीं बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

(कार्यसूची की मद संख्या–01 के विचार–विमर्श के क्रम में)

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	[signature] 24-6-2024
2.	श्री उपेन्द्र नारायण, उप–निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	[signature] 24.6.24
3.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य	[signature] 24.06.24
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	—
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह– शिक्षक, सेवा–निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	[signature] 24.6.24
6.	डॉ. गिरिन्द्र प्रसाद, सह– शिक्षक, (सेवा निवृत्त), सदस्य, सामान्य निकाय नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	[signature] 24.06.24
7.	डॉ. आशीष आलोक, सदस्य, सामान्य निकाय समिति एवं पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	[signature] 24.06.2024
8.	श्री प्रयाग दुबे, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	[signature] 24.06.24